भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1135

उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

कैम्पस भर्ती

1135. **श्री रमाशंकर राजभर:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनियां कैम्पस चयन के माध्यम से युवाओं की भर्ती करती हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत दस वर्षों के दौरान कंपनियों द्वारा रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या कंपनियां पुराने कामगारों को निकाल रही हैं और कम उम्र के कर्मचारियों को काम पर रख रही हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ड.): शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 शुरू की। एनईपी 2020 में नियमित कार्यक्रमों के साथ व्यावहारिक अनुभव और कौशल पाठ्यक्रमों को एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है। एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप संस्थागत स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनका ध्यान युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने पर है। इनमें पाठ्यक्रम का नियमित उन्नयन, एआई, वीएलएसआई, डाटा साइंस आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रमों का विकास, उद्योग-अकादमिक संपर्क को बढ़ावा देना और अनुसंधान पार्कों की स्थापना शामिल है।

सार्वजनिक और निजी कम्पनियों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर कैम्पस भर्ती की जाती है। कैम्पस भर्ती का डाटा मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

शिक्षा मंत्रालय भारतीय युवाओं को नौकरी के दौरान प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) लागू कर रहा है। यह योजना चार क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्डों (बीओएटी/बीओपीटी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। एनएटीएस ने पिछले पाँच वर्षों में 8.72 लाख प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया है और इस योजना के तहत वजीफा अनुदान के रूप में 1298 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, अब तक 4.2 लाख से अधिक नए प्रशिक्षु नियुक्त किए जा चुके हैं।

****